

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा**  
**वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005**  
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12707 / 1176

दिनांक :- 04.12.17

**कार्यालय आदेश**

श्री /श्रीमती / सुश्री विक्रम शर्मा [लिंक न. 12707] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, उदयपुर - [16919] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 04/08/2017 से 10/08/2017 तक 7 दिवस

दिनांक 16/08/2017 से 17/08/2017 तक 2 दिवस

**कुल 9 दिवस**

उक्त कुल 9 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री विक्रम शर्मा की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

  
(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12707 / 1176

दिनांक :- 04.12.17

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, उदयपुर
2. कोषाधिकारी उदयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री विक्रम शर्मा [12707] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, उदयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

  
(प्रदीप मथुर)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)